



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: 106-अ0प्र0(2ब)/पा0का0लि0/2011

दिनांक: 23 दिसम्बर, 2011

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्द्वारा निम्नांकित सहायक अभियन्ताओं (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) को अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर नियुक्त तथा स्तम्भ संख्या-03 में उल्लिखित उनके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्तम्भ संख्या-04 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान पर तैनात किया जाता है:-

क0सं0	नाम अभि0सं0/गृह जनपद	सहायक अभियन्ता के पद पर वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् तैनाती का कार्यालय/स्थान
1	2	3	4
1	श्री अशोक कुमार शुक्ला 88348/कानपुर	सहायक अभियन्ता, केस्को लिमिटेड, कानपुर।	अधिशासी अभियन्ता, प्रबन्ध निदेशक, केस्को लिमिटेड, कानपुर, को आवण्टित। (असंवैदनशील पद पर तैनाती हेतु)
2	श्री अनिल कुमार गर्ग 88333/सहारनपुर	उप खण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड-प्रथम, अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बड़ौत।	अधिशासी अभियन्ता, प्रबन्ध निदेशक, केस्को लिमिटेड, कानपुर, को आवण्टित।
3	श्री विपिन कुमार शर्मा 88341/मेरठ	उप खण्ड अधिकारी, अमीनगर सराय, अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड, बागपत।	अधिशासी अभियन्ता, प्रबन्ध निदेशक, केस्को लिमिटेड, कानपुर, को आवण्टित।

2- उपरोक्त प्रोन्नति आदेश मा0 सर्वोच्च न्यायालय में निवेशित विशेष अनुमति याचिका (सी) नं0 24483 आफ 2011-राधा कृष्ण एवं अन्य बनाम श्री गिरीश नारायण एवं अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-12-2011 के अनुपालन में है तथा इस याचिका में अन्तिम निर्णय में पारित आदेश के प्रतिबन्धाधीन होगा।

3- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

4- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि प्रोन्नत अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

2माफ.
AMM

कमश:.....2.....

5- उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारियों को उनकी नियमित तैनाती के उपरान्त कारपोरेशन के ज़ापांक 2900-प्रशि0-10/पाका0लि0 दिनांक 23.12.03 के प्राविधानानुसार उनके द्वारा अधिशासी अभियन्ता का कार्यभार नियमित रूप से ग्रहण करने के पश्चात् मुख्य अभियन्ता, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास उ0प्र0 पाका0लि0, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कराया जायेगा जिसमें इनका भाग लेना अनिवार्य होगा।

संयुक्त प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 106(1)अ0प्र0(2ब)/पा0का0लि0/2011 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, के प्रमुख निजी सचिव/संयुक्त प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल, आगरा/मध्यान्चल, लखनऊ/पूर्वान्चल, वाराणसी/पश्चिमान्चल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केस्को, कानपुर।
- 3- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0न्समिशन का0लि0।
- 4- मुख्य अभियन्ता, कम्प्यूटर इकाई, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 5- समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 7- अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, कमरा नं0-407, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8- उप सचिव (गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9- सम्बन्धित अधिकारीगण/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,


(शशी पाल सिंह 23/12/2011)
उप सचिव
27/12/11
